रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 1987/आश्विन 20, 1909
No. 513] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 1987/ASVINA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 898(अ):—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 अक्तूबर, 1987 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 17-30/87-एल डी-1]
एल० आर० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 12th October, 1987

## NOTIFICATION

S.O. 898(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby appoints the 12th day of October, 1987, as the date on which the said Act shall come into force.

[File No. 17-30|87-LD.I]

L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987